अनुमोदन हेतु प्रारूप

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांकः– 20/2016(TRJ) 3642(5) पटना, दिनांकः– 21/4/17

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, प०नि०वि०, बिहार, पटना,
मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना,
मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना,
मुख्य अभियंता, रा०उ०प०, प०नि०वि०, बिहार, पटना,
मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प०नि०वि०, बिहार, पटना,
विशेष पदाधिकारी (यातायात), प०नि०वि०, बिहार, पटना।

विषयः– **निर्माण कार्यों के गुणवत्ता जाँच प्रबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निर्माण कार्यों के जाँच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित विषय–वस्तु में कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक हो सकती है, सुधार की अपेक्षा हो सकती है या कार्य खराब गुणवत्ता का हो सकता है, जिसे अमान्य किया जाना अपेक्षित हो। कार्य प्रबंधन/गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिकूल प्रतिवेदनों के आलोक में विभागीय पदाधिकारियों/संवेदकों पर कार्रवाई करना अपेक्षित हो सकता है। प्रचलित व्यवस्था में इन प्रतिवेदनों पर प्रशाखा में कार्यरत गैर तकनीकी सहायकों, प्रशाखा पदाधिकारी एवं उप सचिव द्वारा विचारण करके प्रस्ताव दिया जाता है एवं उस पर अग्रेतर कार्रवाई होती है।

इस क्रम में यह संभव है कि तकनीकी पहलुओं पर उचित विचारण नहीं हो पाये। तद्नुसार इस व्यवस्था को निम्नवत संशोधित किया जाता हैः–

1. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, प० नि० वि० की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, मुख्य अभियंता, अनुश्रवण एवं विशेष पदाधिकारी (या०) सदस्य होंगे।

2. इस समिति के सदस्य सचिव, निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान होंगे। यह समिति प्राप्त होने वाले सभी जाँच प्रतिवेदनों का अध्ययन करेगी। अध्ययनोपरांत समिति कार्य की गुणवत्ता, निविदा प्रबंधन, संवेदक की भूमिका, पदाधिकारी की भूमिका एवं प्रस्तावित कार्रवाई आदि के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा करेगी।

3. जिन मामलों में संवेदकों के विरूद्ध बिहार ठेकेदारी नियमावली, 2007 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई अनुशंसित हो, उन अनुशंसाओं के अनुसार अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रा०) अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

4. जिन मामलों में सरकारी सेवकों पर कार्रवाई किया जाना अनुशंसित हो, उन मामलों में उप सचिव, निगरानी अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

कृ०पृ०उ०

5. जिन मामलों में कार्य की गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा हो, उन मामलों में संबंधित मुख्य अभियंता कार्रवाई करेंगे।

6. इस समिति की बैठक सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी। समिति के सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों पर एक–एक कर विचारण कर समिति अपनी कार्यवाही संधारित करेगी।

विश्वासभाजन

20.4.17

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांकः– 3642(s) पटना, दिनांकः– 21/4/17

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रा०)/ उप सचिव, निगरानी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.4.17

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांकः– 3642(s) पटना, दिनांकः– 21/4/17

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.4.17

(अमृत लाल मीणा)

Arvind/Deepak/Chandra k./400